

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 135]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

अधिसूचना
संख्या 44-2020/राज्य कर

क्रमांक एफ 10-03/2021/वाक/पांच (11).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 के साथ पठित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना संख्यांक 38/2020-राज्य कर, क्रमांक एफ-10-56/2020/वाक/पांच (69), दिनांक 08-05-2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 8 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त माने जाएंगे, नियत करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 9 फरवरी 2021

क्रमांक एफ 10-03/2021/वाक/पांच (11).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-03/2021/वाक/पांच (11), दिनांक 09-02-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 9th February 2021

NOTIFICATION
No. 44/2020 – State Tax

No. F 10-03/2021/CT/V(11).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017) read with rule 3 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Fifth Amendment) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the rules), made vide notification No. 38/2020 – State Tax, No. F-10-56/2020/CT/V(69) dated 08-05-2020 of the Commercial Tax Department, the Government, hereby appoints the 8th day of June, 2020, as the date from which the said provisions of the rules, shall be deemed to have come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.